

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

दिनांक: 10.08.2021

परिपत्र

विषय: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के बारे में तैयार वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 31.03.2021 को परिचालित किया गया था।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.06.2021 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित लक्ष्य	अनुपालन का दायित्व
1	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेलार, टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल आदि सहित) 1. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 2. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 3. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 4. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100% 100% 65% 100%	संस्थान/ केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/ लेखा/ भण्डार आदि अनुभाग।
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	
3	हिंदी में टिप्पण	75%	
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण	70%	सीमेट, शैक्षिक अनुभाग
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	भर्ती प्रकोष्ठ
6	हिंदी में डिक्टेशन/ की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	संस्थान के सभी संबद्ध संकाय/अधिकारीगण

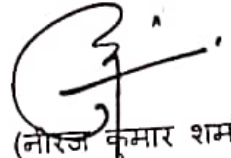
जारी-2/-

765203
हिंदी अनुभाग/Hindi Section
अ.पा.जी.सं./A.P.J.S.
असारी संख्या/U.No. 265-4
दिनांक/Date 10.08.2021

7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	हिंदी अनुभाग
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	शैक्षिक अनुभाग/सीमेट
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय	50%	बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	भंडार अनुभाग/कंप्यूटर सुविधा/सभी केंद्र
11	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	कंप्यूटर सुविधा
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	इंजीनियरी सेवा विभाग/सभी केंद्र
13 (I)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	हिंदी अनुभाग
(II)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	हिंदी अनुभाग
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	सभी विभाग/ अनुभाग/ केंद्र
16	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो।	40%	सभी विनिर्दिष्ट अनुभाग: स्थापना अनुभाग, लेखा अनुभाग (नि.का./ सभी केंद्र), भंडार, अनुभाग (अस्प.), संपदा अनुभाग, लेखन सामग्री अनुभाग, परिवहन विभाग, ई.एच. एस.कार्यालय, कैफेटेरिया, छात्रावास, सुरक्षा विभाग

अतः भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुपालन में संस्थान के सभी संबंधित विभागों/ अनुभागों/केन्द्रों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के बारे में वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।


(नीरज कुमार शर्मा)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

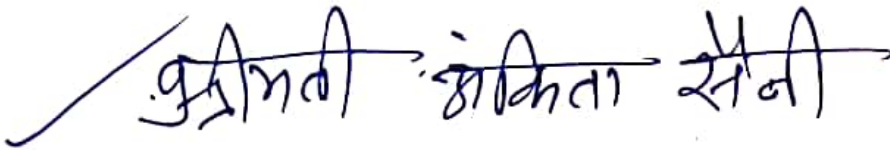
वितरण : सभी सम्बद्ध विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:-

- निदेशक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशा.) महोदय के निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- ✓ - उप-निदेशक (कम्प्यूटर सुविधा) - कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र शामिल नहीं किए गए हैं।



सुजाता सैनी
10/8